Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 39–2025] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025 (ASVINA 4, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितम्बर, 2025

क्रमांक 6712/1–L.– चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टियो में वर्णित भूमि जनता के कल्याण के लिए व जनता के खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः **बुर्जी संख्या 14000' से 15000' के बीच पर अम्बाला ड्रेन के लिए आवश्यक है उस भूमि को अर्जित करने, जो कि गाँव–सुब्बा अकबरपुर तहसील अम्बाला शहर जिला अम्बाला,** के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रह, नवीनीकरण व पुनस्थापना अधिनियम की धारा–11 जो कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक संख्या 1713/1L दिनांक 21.10.2024 के तहत की जा चुकी है

यह घोषणा की जाती है कि निमन विश्लेषित जमीन उपरोक्त कार्य के लिए चाहिये।

यह घोषणा नए भूमि अधिग्रहण, नवीनीकरण व पुनस्थापना अधिनियम 2013 की (2013. का नं. 30) धारा–19 के तहत सभी सम्बंधित जमींदारो को किसी ऐतराज के लिए सूचित किया जाता है हालांकि धारा 15, 16, 17 व 18 के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि गाँव–सुब्बा अकबरपुर की जमीन के विषय में कोई नवीनीकरण व पुनस्थापना की स्थिति नहीं बनती।

इस विषय में नए भूमि अधिग्रहण की उपरोक्त धारा के तहत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा), अम्बाला को निर्देश दें कि वो इस जमीन को अपने कब्जे में लें, जो कि उपरोक्त कार्य के लिए चाहिए।

भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, लोक निर्माण विभाग, (सिंचाई शाखा), अम्बाला या कार्यकारी अभियन्ता, सतलुज यमुना लिंक मण्डल, अम्बाला के कार्यलय में किया जा सकता है।

विशिष्टियां

क्र० नं०	जिला	तहसील	गाँव	हदबस्त नं०	रकबा एकड़ में	किला नं०	भूमि का क्षेत्रफल	
							कनाल	मरला
1.	अम्बाला	अम्बाला शहर	सुब्बा अकबरपुर	49	0.256	41	02	01

(हस्ता०)...,
भूमि अधिग्रहण कलैक्टर,
लोक निर्माण विभाग (सिचांई शाखा)
अम्बाला शहर।

(हस्ता०)...,
कार्यकारी अभियन्ता,
सतलुज यमुना लिंक जल सेवाएं मण्डल,
अम्बाला।

(हस्ता०)...,
अधीक्षक अभियन्ता,
सतलुज यमुना लिंक जल सेवाएं परिमण्डल,
अम्बाला।

HARYANA GOVERNMENT

IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT

Declaration

The 17th September, 2025

No. 6712/1-L.— Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed by the Government at the public expenses, for public purpose, namely for **Ambala Drain in between RD 14000' to 15000' for Acquiring 02K-01M Un-acquired land in the area as mentioned below of village Subba Akbarpur, Tehsil Ambala City and District Ambala** for which notification U/S-11 of Right to Fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013) (herein after referred to as the Act of 2013) had already been published in Haryana Govt. Gazette notification vide No. 1713/1L dated 21.10.2024.

It is hereby declared that the land described in the specification below is required for the above said purpose.

This declaration is made under the provision of Section-19 of the Act for the information all to whom it may concern. There is no requirement of action to be taken U/S-15, 16, 17 and 18 as there is no rehabilitation or resettlement scheme involved in the acquisition of below mentioned land of village Subba Akbarpur.

And under the provision of said Act the Land Acquisition Collector, P.W.D., I.B. Ambala hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

The plan of the land may be inspected in the office of Land Acquisition Collector, P.W.D., I.B. Ambala or Executive Engineer, S.Y.L., Water Services Division, Ambala.

SPECIFICATION

Sr. No.	Name of Distt.	Tehsil	Name of Village	H.B. No.	Area in Acres	Killa No.	Total Area	
							Kanal	Marla
1.	Ambala	Ambala City	Subba Akbarpur	49	0.256	41	02	01

(Sd/)...,
Land Acquisition Collector,
P.W.D. (IB) Ambala City

(Sd/)...,
Executive Engineer
SYL W.S. Division
Ambala

(Sd/)...,
Superintending Engineer
SYL W.S. Circle
Ambala

12069—C.S.—H.G.P., Pkl.